झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
अष्टम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 28.02.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	**श्री बंधु तिर्की स0वि0स0**	विदित हो कि झारखण्ड की राजधानी राँची में झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर निर्माण हेतु काँके प्रखण्ड के मौजा– मनातू, चेड़ी, सुकुरहट्टु में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के आलोक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक– F42-1/2008- Desk (U), दिनांक– 13.06.2008 द्वारा स्थल चयन समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा उक्त स्थल को विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उपयुक्त माना एवं संस्तुत किया। केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कम–से–कम 500 एकड़ भूमि की आवश्यकता बताई गई जो संबंधित राज्य सरकार को निःशुल्क प्रदान की जानी थी। विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्राक्कलन की गणना की गई जिसकी कुल 6,04,20,70,621.00 (छः सौ चार करोड़, बीस लाख, सत्तर हजार छः सौ एक्कीस) रूपये की राशि विस्थापित रैयतों को मुआवजा के रूप में वितरण किया जाना है। राज्य सरकार और झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के बीच समाधान नहीं निकलने से वहाँ के प्रभावित रैयत बेवजह पिस रहे हैं। अधिग्रहण से लगभग 200 परिवार प्रभावित हो रहे है जिसमें 70 परिवार घर से भी विस्थापित हो रहे हैं। अतः अधिग्रहित भूमि के प्रभावित रैयतों का मुआवजा एवं पुनर्वास की समूचित व्यवस्था कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	**राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार**

01.	02.	03.	04.
02–	**श्री प्रदीप यादव स0वि0स0**	वर्ष 2018 में गोड्डा जिला में JSSC के विज्ञापन सं0–21/2016 के आलोक में 7 (सात) सफल संगीत शिक्षकों की बहाली अब तक अकारण शिक्षा विभाग ने रोक रखा है जबकि इन्हीं अभ्यर्थियों के समरूप एवं समकक्ष योग्यताधारी अभ्यर्थियों को राज्य में विभाग द्वारा 2015 में नियुक्ति दी गई थी। साथ ही इन अभ्यर्थियों की योग्यता के प्रमाण–पत्रों की डिग्री **प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद एवं प्राचीनकला केन्द्र, चण्डीगढ़ द्वारा क्रमशः संगीत प्रभाकर एवं संगीत विशारद** को सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील सं0–6098/97 ने भी सही ठहराया है। इन अभ्यर्थियों की डिग्री के सापेक्ष में **महाधिवक्ता, झारखण्ड सरकार एवं तत्कालीन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा क्रमशः अपने मंतव्य पत्रांक– Vol N0-01/ दिनांक– 04.01.2021 एवं पत्रांक– 874, दिनांक– 22.03.2019 के माध्यम से इनकी डिग्री को सही ठहराया गया है।** इनकी बहाली न होने से उक्त विषय के पठन–पाठन प्रभावित है और अभ्यर्थी भी मानसिक एवं आर्थिक रूप से तंगी की हालात में है। इस ओर सदन का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता**
03–	**दीपक विरूवा स0वि0स0 श्री लोबिन हेम्ब्रम स0वि0स0 श्री चमरा लिण्डा स0वि0स0**	वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0–1113/वि0म0, दिनांक– 10.10.2014 द्वारा राज्य के समूह ''ए'' एवं ''बी'' कर्मियों के लिए 30 लाख रूपये तथा समूह ''सी'' एवं ''डी'' कर्मियों के लिए 15 लाख रूपये का निर्धारण गृह निर्माण अग्रिम के रूप में किया गया है जिसकी वसूली अधिकतम 240 (मूलधन 180+ ब्याज 60) किस्तों में किए जाने का प्रावधान है। झारखण्ड सरकार के SC/ST कर्मियों को गृह निर्माण अग्रिम के मामलों में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार–	**वित्त**

कृ0पृ0उ0–

01.	02.	03.	04.
		विभाग के अन्तर्गत निबंधक द्वारा जमीन का बंधन पत्र (Mortgage) मात्र 5 वर्षो के लिए होने की वजह से आच्छादित पदा0/कर्म0 से अग्रिम की वसूली 5 वर्षो में ही करना पड़ता है जिस कारण संबंधित कर्मियों पर किस्त की राशि का बोझ के साथ-साथ राशि की अनुमान्यता भी कम हो जाती है जो आज के परिपेक्ष्य में गृह निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है। विदित् हो कि CNT Act की धारा 46(C) के अन्तर्गत राष्टीयकृत बैंक/कॉपरेटिव सोसाईटिज (जिसमें सरकार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है) को 15 वर्षो के लिए बंधक रखा जा सकता है। जिसका W.P (PIL) No-2313/2008 Felix Tamba Vs state of Jharkhand & Others दिनांक-25.10.2008 को पारित न्यायादेश में किया गया है। अतएव अन्य कोटि के कर्मियों की भाँति SC/ST कर्मियों को गृह निर्माण अग्रिम हेतु जमीन का बंधन पत्र (Mortgage) 15 वर्षो के लिए सम्पादित करने संबंधी आदेश देने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।	
04-	**श्री लम्बोदर महतो स0वि0स श्री मथुरा प्रसाद महतो स0वि0स0 श्री कुमार जयमंगल स0वि0स0**	कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-3286, दिनांक- 04 अप्रैल, 2014 में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सेवाओं/संवर्गो में प्रोन्नति के रिक्त पदो के विरुद्ध अर्हता प्राप्त कर्मियों के प्रोन्नति की त्वरित कार्रवाई की जाय इसके लिए वर्ष में कम से कम दो बार विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक अवश्य आहूत की जाय परन्तु, राज्य सरकार के कर्मियों एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की प्रोन्नति हेतु न तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठकें नियत समय पर आयोजित की जाती है, ना ही उन्हें समयबद्ध तरीके से प्रोन्नति दी जाती है, इसके उलट भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अन्य अखिल-	**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा**

01.	02.	03.	04.
		भारतीय सेवाओं में समबद्ध प्रोन्नति की व्यवस्था की गई है। The Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007 के नियम–3 (2) (ii) And 3 (2) (iii) के द्वारा पदों के सृजन एवं प्रोन्नति की चरणबद्ध एवं समयबद्ध व्यवस्था लागू की गई है। हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा आईएएस कैडर रूल 1954 में परिवर्त्तन करने का प्रस्ताव किया गया है इसके विरूद्ध माननीय मुख्यमंत्री द्वारा केन्द्र सरकार को पत्र प्रेषित किया गया था। ऐसे में क्या राज्य सरकार के संकल्प संख्या–3286, दिनांक–04 अप्रैल, 2014 में आवश्यक बदलाव लाने का विचार रखती है ताकि राज्य सेवा के पदाधिकारियों को ससमय प्रोन्नति देकर स्थानीय कैडर को मजबूत किया जा सके जिससे राज्यवासियों के सम्यक कल्याण संभव हो और राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। इस संबंध में सरकार का ध्याना आकृष्ट किया जाता है।	
05–	**श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह स0वि0स0**	झारखण्ड राज्य में 01/12/2004 से पुरानी पेंशन योजना को बंद कर नया पेशन योजना (NPS) को लागू किया गया है जिसमें परिपक्वता से पहले केवल सीमित राशि की अनुमति है। यदि कोई कर्मचारी खुद को वित्तीय आपात स्थिति में पाते है और तत्काल एकमुस्त धन की आवश्यकता होती है, तो यह समस्या पैदा करता है तथा सेवानिवृति के बाद मिलने वाली राशि में भी टैक्स की कटौती की जाती है जिससे कर्मचारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, इस तरह की खामियों को देखते हुए सरकारी कर्मचारी संगठनों द्वारा समय–समय पर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की जाती रही है। सरकार का दायित्व है कि लंबे समय तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृति के उपरांत आर्थिक लाभ एवं सुरक्षा प्रदान करें।	**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा**

कृ0पृ0उ0–

01.	02.	03.	04.
		अतएव राजस्थान के तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानआकृष्ट करती हूँ।	

राँची,
दिनांक- 28 फरवरी, 2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2022-....659...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 27/02/22

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/वित्त विभाग एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2022-....659...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 27/02/22

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

26/2/22